

संक्षिप्त समाचार

ट्रम्प की धमकी-आज रात ईरान पर करेंगे सबसे बड़ा हमला

खार्ग द्वीप का तेल-गैस कब्जाएंगे, अमेरिकी हमले में 3 भारतीयों की मौत, भारत नाराज

तेल अवीव/तेहरान/वॉशिंगटन डीसी (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने ईरान पर हमले नई धमकी दी है। ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका गुरुवार रात ईरान पर बड़ा हमला करेगा। उनका दावा है कि ईरान की ज्यादातर सैन्य ताकत पहले ही कमजोर हो चुकी है।



ट्रम्प ने यह भी कहा कि आने वाले दिनों में अमेरिका ईरान के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्ट सेंटर खार्ग आइलैंड और दूसरे अहम तेल-गैस ठिकानों पर कब्जा करेगा। खार्ग आइलैंड को ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा सेंटर माना जाता है। वहीं, ओमान के पास भारतीय नाविकों वाले जहाजों पर अमेरिकी हमलों को लेकर भारत ने कड़ा विरोध दर्ज किया है।

पीओके में पाकिस्तानी सेना का हेलिकॉप्टर क्रैश

21 सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने की खबर



इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में बुधवार को पाकिस्तान सेना का एक एमआई-17 हेलिकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा मुजफ्फराबाद के पास उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हुआ। हेलिकॉप्टर में सवार सभी 21 सुरक्षाकर्मियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि सेना ने अभी यह नहीं बताया है कि हेलिकॉप्टर में कुल कितने लोग सवार थे।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा

गृहिणियां होममेकर नहीं 'राष्ट्र निर्माता' हैं

वे परिवार की नींव मजबूत करती हैं, उनके काम की कीमत हर महीने 30 हजार जितनी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देशभर में सड़क हादसों में जान गंवाने वाली गृहिणियों के परिवारों को मिलने वाले मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर संभालने वाली महिलाओं को राष्ट्र निर्माता (नेशन बिल्डर) का दर्जा मिलना चाहिए। उनके काम की तुलना किसी पेशेवर से करके उनके योगदान को कम नहीं आका जा सकता। जस्टिस संजय करोल और न्यायाधीश एन कोटिस्वर सिंह की बेंच ने कहा कि किसी हादसे में गृहिणियों की मौत होने पर, उनके द्वारा की जाने वाली परिवार की देखभाल और घरेलू काम की कीमत कम से कम 30 हजार रुपए प्रति महीना (3.6 लाख रुपए सालाना) मानी जाएगी।



नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने 9 जून को रणनीतिक रूप से बेहद अहम माने जाने वाले जोजिला टनल ने अपना 'फाइनल ब्रेकथ्रू' हासिल कर लिया। हिमालय के पहाड़ की चट्टानों के आखिरी हिस्सों को ब्लास्ट करके इसके दोनों सिरों को आपस में जोड़ दिया गया, जिससे लद्दाख और कश्मीर के बीच हर मौसम में और तेजी से कनेक्टिविटी का रास्ता साफ हो गया। इसके साथ ही टनल बनाने का काम भी पूरा हो गया, जो अक्टूबर 2020 में शुरू हुआ था। चीन के साथ लाइन ऑफ एंक्लुअल कंट्रोल (एलएसी) सीमा पर अक्सर

घर में घुसकर की थी मारपीट

कोर्ट के आदेश पर दतिया में पूर्व एसएचओ समेत चार पुलिसकर्मियों पर एफआईआर

दतिया (नप्र)। एक महत्वपूर्ण न्यायिक फैसले में जेएमएफसी न्यायालय ने सिनावल के तत्कालीन थाना प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया सहित चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश राजघाट कॉलोनी में एक परिवार के घर में कथित तौर पर जबरन घुसकर मारपीट करने के मामले में दिया गया है।

एफआईआर करने के निर्देश- जज विजिताक्ष पुष्कर ने कोतवाली पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस मामले में तत्काल प्रकरण दर्ज किया जाए। अदालत ने 16 जून तक कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने यह चेतावनी भी दी है कि यदि आदेश के पालन में किसी प्रकार की देरी या लापरवाही बरती जाती है, तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ



न्यायालय की अवमानना और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मार्च 2024 का है मामला- यह घटना 27 मार्च 2024 की बताई जा रही है। दतिया के रावरी निवासी युवराज सिंह बुंदेला का परिवार राजघाट कॉलोनी में किराए के मकान में रह रहा था। अधिवका

विवेक सिंह जाट ने अदालत को बताया कि घटना के दिन तत्कालीन एसएचओ अरविंद सिंह भदौरिया, हेड कांस्टेबल पुष्पराज सिंह जौहरिया, आरक्षक कपिल शर्मा और महिला आरक्षक पूजा सिकरवार ने युवराज सिंह बुंदेला और उनके परिवार के सदस्यों के

दिल्ली में कांग्रेस का लोकतंत्र बचाओ अभियान तेज, राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा : जीतू पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमटी के अध्यक्ष श्री जीतू पटवारी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा और जनता के मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी अपने संघर्ष के अगले चरण में प्रवेश कर रही है। उन्होंने बताया कि कल मध्य प्रदेश कांग्रेस के सभी विधायक दिल्ली पहुंचेंगे। राष्ट्रपति महोदय से मुलाकात के लिए समय मांगा गया है और समय मिलने की प्रतीक्षा की जा रही है। श्री पटवारी ने कहा कि कल कांग्रेस पार्टी मीडिया के समक्ष पूरे घटनाक्रम और अपने पक्ष को विस्तार से रखेगी, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि, युवाओं के भविष्य से जुड़े पेपर लोक जैसे मामलों और किसानों की समस्याओं पर सरकार जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि किसान खाद और उर्वरक जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान हैं, देश की अर्थव्यवस्था चुनौतियों का सामना कर रही है और विदेश नीति से लेकर आम जनता के जीवन से जुड़े कई मुद्दों पर असंतोष का माहौल है। इन सभी परिस्थितियों के लिए केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां जिम्मेदार हैं। श्री जीतू पटवारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को मजबूती से उठाती रहेगी और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए अपना संघर्ष जारी रखेगी।

राजकुमार पटेल की सेवानिवृत्ति पर मंत्रालय में अखण्ड रामायण 15 को

भोपाल। मंत्रालय सेवा अधिकारी कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष तथा राजकुमार पटेल अधिवार्धिकी आयु पूर्ण कर 30 जून को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। पटेल 40 वर्ष की सुदीर्घ शासकीय सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं। राजकुमार पटेल एक ईमानदार, निस्वार्थ, जुझारू, संघर्षशील कर्मचारी नेता के साथ साथ एक उत्कृष्ट शासकीय सेवक भी रहे हैं। उत्कृष्ट, कर्तव्यनिष्ठ, कार्यकुशल शासकीय सेवकों को मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिया जाने वाला 1 लाख रुपए का देवीप्रसाद शर्मा पुरस्कार भी राजकुमार पटेल को मिल चुका है। पटेल, नारायण प्रसाद शर्मा, सत्यनारायण तिवारी, देवीप्रसाद शर्मा जैसे लीजेंडरी कर्मचारी नेताओं की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। श्री पटेल लघुवेतन कर्मचारी संघ के उपप्रांताध्यक्ष रह चुके हैं। राजकुमार पटेल की सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में 15 जून सोमवार को मंत्रालय वल्लभ भवन के गेट क्रमांक 06 के पास स्थित गणेश मंदिर में अखंड रामायण पाठ और विशाल झरा भंडारे का आयोजन किया गया है। अखण्ड रामायण पाठ 14 जून से शुरू हो जायेगा जिसकी पूर्णाहुति 15 जून को 11 बजे तक होगी और 12 बजे से 04 बजे तक झरा भंडारा चलेगा।

17 साल, 1600 करोड़ का खर्च, अमेरिकी मशीनें हुई फेल, मजदूरों ने दी शहादत, तब तैयार हुई स्लीमानाबाद टनल

कटनी (नप्र)। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक छोटे से कस्बे स्लीमानाबाद में पिछले 17 वर्षों से चल रहा देश का सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। पहाड़ों को काटकर, जान जोखिम में डालकर और कई भारी विदेशी मशीनों के टूटने के बाद आखिरकार भारत की सबसे लंबी सिंचाई सुरंग स्लीमानाबाद टनल की निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के मुताबिक, 11.95 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का महज 92 मीटर हिस्सा ही अब खोदा जाना बाकी है, जिसे इसी महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा।

टूट जाएगा पौराणिक मिथक- इस टनल की सफलता के पीछे एक दिलचस्प पौराणिक पहलू भी है। मान्यताओं के अनुसार, एक ही अमरकंटक (मैकाल) की पहाड़ियों से निकलने वाली नर्मदा और सोनभद्र कभी अलग न मिलने वाले प्रेमी हैं,



जो विपरीत दिशाओं में बहते हैं। लेकिन इस 11.95 किमी लंबी टनल के जरिए अब नर्मदा का पानी विन्ध्य पर्वतमाला के नीचे से होते हुए सोन बेसिन में प्रवेश करेगा। इस ऐतिहासिक टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा अगस्त या सितंबर महीने में किए जाने की उम्मीद है।

अमेरिकी मशीनें भी टेक चुकी थीं घुटने- स्लीमानाबाद के नीचे की भूगर्भीय संरचना यानी जियोलाॉजी इतनी कठिन थी कि संगमरमर, चूना पत्थर, डोलोमाइट और स्लेट की परतों ने साल 2011 में आयात की गई भारी-भरकम अमेरिकी रोबिन्स टनल बोरिंग मशीन को तोड़ दिया था। शुरुआती 1.6 किमी की खुदाई में ही इंजीनियरों को साढ़े छह साल लग गए। बाद में जर्मन मशीन की मदद ली गई। इस बेहद खतरनाक काम के दौरान जहरीली गैसों, अचानक पानी के रिसाव और मिट्टी धंसने से कई मजदूरों ने अपनी जान भी गंवाई।

तृणमूल कांग्रेस का संकट गहराया, ममता को चौथा झटका

चार दिन में 4 इस्तीफे, शत्रुघ्न सिन्हा बोले मैं दीदी के साथ हूँ

कोलकाता (एजेंसी)। बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी पराजय के बाद तृणमूल कांग्रेस का संकट लगातार गहराता जा

रहा है। पार्टी के भीतर शुरू हुई बगावत विधानसभा से लेकर संसद तक पहुंच चुकी है। गुरुवार को राज्यसभा सांसद प्रकाश चिक बड़ोईक और अभिनेत्री-सांसद कोयल मल्लिक ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही पिछले चार दिनों में राज्यसभा से इस्तीफा देने वाले तृणमूल सांसदों की संख्या चार हो गई है। इससे पहले सुखेंद्र शंखर राय और सुष्मिता देव भी उच्च सदन की सदस्यता छोड़ चुके हैं। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने मीडिया से कहा में ममता दीदी के साथ हूँ उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। कल्याण बनजी का अल्टीमेटम- ममता मुझे चुनें या अभिषेक को: ममता बनजी के सबसे करीबी सांसद कल्याण बनजी की भी गुस्वार को नाराजगी सामने आई। उन्होंने कहा कि



ममता को तय करना होगा कि वे मेरे साथ हैं या अभिषेक बनर्जी के साथ। अभिषेक को सीनियर नेताओं का सम्मान करना नहीं आता। वह बहुत अहंकारी हैं। इसी वजह से पार्टी बर्बाद हुई है। उन्होंने कहा, अगर ममता दीदी को अभिषेक बनर्जी पर ही निर्भर रहना है, तो उनके साथ रहे और मुझे छोड़ दो। दावा- 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके: इससे पहले टीएमसी की बागी सांसद काकोली घोष ने दावा किया था कि 20 लोकसभा सांसद अलग गुट बना चुके हैं। वहीं, बंगाल के 80 में से 58 टीएमसी विधायक अलग गुट बना चुके हैं। फालता में पुलिस ने जहांगीर खान को हाफ पैट में घुमाया: बंगाल के दुर्गापुर में गुरुवार को टीएमसी (तृणमूल कांग्रेस) नेता सुकुमार दत्ता को भ्रष्टाचार और जबरन वसूली जैसे कई आरोपों में गिरफ्तार किया गया। जब पुलिस उन्हें थाने से अदालत ले जा रही थी, तब भीड़ ने उन पर अंडे फेंके। वहीं, पश्चिम बंगाल के फरलात में गुरुवार को टीएमसी नेता जहांगीर खान हाफ पैट (निक्कर) में पुलिस के साथ घूमते नजर आए।

बिहार पहुंचा मानसून, 8 दिन में 17 राज्य कवर

- 2-3 दिन में झारखंड-छत्तीसगढ़ पहुंचेगा, यूपी-बिहार में आंधी और बिजली गिरने से 9 की मौत



पटना/भोपाल/जयपुर/लखनऊ/ (एजेंसी)। मानसून ने गुरुवार को बिहार में एंट्री कर ली है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी यह आगे बढ़ गया है। 4 जून को केरलम में एंट्री के बाद से मानसून 8 दिन में 17 राज्यों तक पहुंच चुका है। अगले 2-3 दिनों इसके में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा पहुंचने की

संभावना है। बिहार के 11 जिलों में आज सुबह से आंधी-बारिश हो रही है। खगड़िया में बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग झुलस गए हैं। पटना, बक्सर, सुपौल समेत 5 जिलों में घने बादलों से अंधेरा छा गया। लोगों को गाड़ियों की लाइट जलाकर चलना पड़ा। यूपी में आंधी से एक पेट्रोल पंप की छत उड़ गई। चित्रकूट में 4.5 करोड़ रुपए के ऑडिटोरियम की छत भी उड़ गई। बरेली, इटावा, सीतापुर और फिरोजाबाद में आंधी-तूफान से 4 लोगों की मौत हुई। पंजाब के मानसा में तेज आंधी के दौरान लोहे का गेट गिरने से 9 साल के बच्चे की मौत हो गई। इश्र, गुजरात को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में ग्री-मानसून का असर है। दिल्ली में खराब मौसम के चलते 2 फ्लाइट जयपुर डायवर्ट करनी पड़ीं। राजस्थान के कई इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई।

संपादकीय

भाजपा का दांव और कई सवाल

मध्यप्रदेश से राज्यसभा की तीनों सीटें निर्विरोध जीतने का भाजपा भले ही जश्न मना रही हो, लेकिन इस जीत की नैतिकता और पवित्रता पर प्रश्नचिन्ह हमेशा रहेगा। क्योंकि यदि येन- केन- प्रकरेण चुनाव जीतना ही नैतिकता है तो भाजपा इसका श्रेय ले सकती है, लेकिन जिस तरह से और जिस कारण से कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त हुआ, उसकी गूँज दूर तक सुनाई देगी। जो कुछ घटनाक्रम घटा, उससे कहीं न कहीं यह संदेश गया है कि चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट की रवैया कुछ ऐसा रहा है कि जिससे भाजपा को फायदा हो। भले ही इसे प्रमाणित करना मुश्किल हो। मीनाक्षी नटराजन का नामांकन क्यों कर रद्द हुआ, वह नियमानुसार था या नहीं, अथवा इसमें नियमों की तालमेल का गड़, इसकी मीमांसा तो अब कोर्ट में होगी। लेकिन कड़वा सच यही है कि समुचित तालमेल और एकजुटता के अभाव में कांग्रेस अपनी लगभग जीती जिताई सीट गंवा बैठी है। यह कांग्रेस के सबसे बड़े नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मीनाक्षी नटराजन को रास का टिकट उन्हीं पसंद के चलते दिया गया था। मीनाक्षी यूं तो मंत्र के मंदसौर की ही हैं, लेकिन लंबे समय से दिल्ली की राजनीति कर रही हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस का लोकसभा में एक भी सांसद न होने के कारण मंत्र में कई नेता है, जो राज्यसभा जाने के लिए इच्छुक थे। इसके लिए लॉबींग भी जारी थी। लेकिन अलोकमान ने मीनाक्षी को टिकट दे दिया। इसको लेकर पार्टी में आम सहमति नहीं दिखाई दी। शायद यही कारण है कि एक गुट मीनाक्षी को हरवाने के लिए भीतर ही भीतर सक्रिय हो गया। इस संभावना के पीछे वास्तविकता यह भी है कि तेलंगाणा जैसे राज्य में बीजेपी अभी भी बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत नहीं है। ऐसे में पूर्व में राज्य की कांग्रेस से प्रभारी रही मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ किसी कांग्रेसी द्वारा ही दायर किया गए निजी परिवार और उस मामले में मीनाक्षी नटराजन को जारी समन की जानकारी किसी भाजपाई को हो, इसकी संभावना बहुत कम है। जाहिर है कि मीनाक्षी का नाम घोषित होते ही कांग्रेस के स्तर पर ही किसी ने सारी जानकारी जुटाकर बीजेपी तक पहुंचाई और यह जानकारी पुष्टा होने के बाद भी भाजपा ने तीसरा प्रत्याशी उतारने का फैसला आधी रात को किया। एक प्रत्याशी को जीतने के लिए 58 वोटों की जरूरत थी। भाजपा के पास अपने दो प्रत्याशियों को जीताने के बाद भी 48 विधायक अतिरिक्त थे। वो चाहती तो साम-दाम-दंड-भेद से ऐसे में कांग्रेस के 10 वोटों को 'मैनेज' करके वह तीसरा प्रत्याशी भी जिता लेती। इसकी कोशिशें भीतर ही भीतर चल भी रही थी। सोशल मीडिया में यह चर्चा रही कि कांग्रेस विधायकों को खरीदने पांच-पांच करोड़ रू. की बोली लग रही है। इसके चलते कांग्रेस ने अपने विधायकों को तेलंगाणा शिफ्टस करने का प्लान भी बना लिया था। जो पूरा घटनाक्रम बदल जाने के कारण उड़ भी न सके। इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग केन्द्रीय स्तर पर भी हो रही थी।

मीनाक्षी नटराजन को लेकर जो प्रमाण मुँहया कराए गए थे, उसकी जांच की गई। पुष्टता पाए जाने पर नामांकन पत्रों की जांच के दिन उन्हें निर्वाचन अधिकारी के समक्ष पेश किया गया। निर्वाचन अधिकारी ने इस बारे में सुनवाई के दौरान मीनाक्षी नटराजन से सवाल भी किए, लेकिन वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकीं। परिणामस्वरूप उनका नामांकन खारिज किया। इसका कांग्रेस ने सड़कें पर विरोध भी किया। चुनाव आयोग भी गए। सुप्रीम कोर्ट में भी दस्तक दी। लेकिन तत्काल राहत नहीं से नहीं मिली। वैसे कांसेस में इस तरह की भीतरी दामाजी का इतिहास पुराना है। सवाल कई हैं, लेकिन कांग्रेस क्या आत्मसंथन करेगी, यह सबसे बड़ा प्रश्न है।

दूरगामी फैसला

प्रो तेजिंदर शर्मा

(कुरुक्षेत्र विवि में प्रोफेसर)

कें द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से कक्षा नौवीं के छात्रों के लिए 'त्रि-भाषा फॉर्मूला' लागू होने जा रहा है। इस नए नियम के तहत अब विद्यार्थियों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें से कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना अनिवार्य हैं। इस कदम का सीधा उद्देश्य भारतीय छात्रों को ज्यादा रोजगारपक्व, वैश्विक और साथ ही अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ बनाना है। यह फैसला केवल एक नीतिगत बदलाव नहीं है, बल्कि यह हमारे बच्चों के मानसिक विकास और भविष्य की संभावनाओं को एक नई दिशा देने वाला कदम है।

त्रिभाषा फार्मूला की शुरुआत 1964-66 में कोरारी आयोग द्वारा देश की भाषाई विविधता को संजोने और एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की गई थी, जिसे बाद में 1968, 1986 और 1992 की राष्ट्रीय शिक्षा नीतियों में अपनाया गया। इसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आगे बढ़ाते हुए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इसे और अधिक लचीला और सरल रूप दिया गया है। इसके तहत छात्रों को स्कूली शिक्षा के दौरान तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमेंसे कम से कम दो भाषाएं भारतीय होने अनिवार्य हैं, जबकि तीसरी भाषा के रूप में छात्र किसी भी भारतीय या विदेशी भाषा का चुनाव अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। इस पूरी व्यवस्था की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सरकार किसी पर भी कोई भाषा थोपने के बजाय छात्रों को अपनी पसंद की भाषा चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह भाति कि केवल भारतीय बच्चों पर ही बहुभाषी होने का बोझ है, पूरी तरह निराधार है। वास्तव में, बंकिमदेश देशों में भी कई भाषाएं सीखना एक मानक प्रक्रिया है। यूरोप के देशों (जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड) में स्कूली शिक्षा के दौरान मातृभाषा के साथ दो-तीन अन्य भाषाएं सीखना अनिवार्य है। चीन और सिंगापुर जैसे देश अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के साथ-साथ वैश्विक प्रतिस्पर्धा में टिक रहने के लिए 'ट्रि-भाषी नीति' को अपना रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे अंग्रेजी भाषी देश भी

नजरिया

प्रो. कन्हैया त्रिपाठी

लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में वेयर प्रोफेसर हैं।



बारह वर्षों में सामाजिक न्याय की अवधारणा लंबे समय तक सहायता और अनुदान तक सीमित रही, लेकिन पिछले 12 वर्षों में यह दृष्टिकोण व्यापक रूप से बदला है। इस मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार स्वयं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को साकार करने में दृढ़ संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी हालिया समीक्षा यह दर्शाती है कि देश ने कल्याणकारी योजनाओं को अधिकार-आधारित और सशक्तिकरण-केंद्रित मॉडल में बदलने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। डिजिटल पारदर्शिता, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण-डीबीटी, सामाजिक सुरक्षा और उद्यमिता प्रोत्साहन के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। शिक्षा में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा मिला। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम है इसके लिए छात्रवृत्ति वितरण प्रणाली में व्यापक सुधार हुए और आधार-लिंकड डीबीटी मॉडल लागू किया गया जिससे भ्रष्टाचार, बिचौलियों और भुगतान में देरी जैसी समस्याओं पर प्रभावी अंकुश लगा। अनुसूचित जाति पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत अब तक 6.12 करोड़ छात्रों को 46,581.54 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। वहीं प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से 2.99 करोड़ छात्रों को 4,893.03 करोड़ रुपये का लाभ मिला है। पीएम-शरदस्वी योजना के तहत ओबीसी, ईबीसी और ईएनटी समुदायों को 10.69 करोड़ से अधिक छात्र-लाभार्थियों को 15,555.53 करोड़ रुपये की सहायता, छात्रावास सुविधाएं तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराए गए। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं बल्कि सामाजिक गतिशीलता का मजबूत आधार है।

देखा जाए तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने सामाजिक न्याय की मजबूती के लिए जो पहल किए वह भी उल्लेखनीय हैं। हम जानते हैं कि सामाजिक न्याय केवल आर्थिक सहायता से नहीं बल्कि कानूनी सुरक्षा से भी सुनिश्चित होता है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में किए गए संशोधनों, विशेष

देश में व्याप्त नशाखोरी से भी लड़ना आसान नहीं है। अब भारत नशामुक्ति की ओर निकल पड़ा है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी शक्ति है। विदेशी ड्रग्स ट्रेफिकिंग की समस्या से बचते हुए नशा मुक्त भारत अभियान ने जन-जागरूकता के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। नशामुक्त भारत अभियान के तहत 26.28 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंच बनाई है। इसमें 9.56 करोड़ युवा शामिल हैं। यद्यपि भारतीय नशामुक्ति का इससे दावा तो नहीं होता लेकिन यदि करोड़ों युवा एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नशाखोरी से मुक्ति का संकल्प ले रहे हैं तो उम्मीदें बढ़ती हैं। डिजिटल डैशबोर्ड, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास अब सफल हो रहा है।

अदालतों की स्थापना और पीड़ित सहायता तंत्र को मजबूत बनाने से न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी हुई है। वर्ष 2014 से अब तक 7.26 लाख अत्याचार पीड़ितों को 5,012.17 करोड़ रुपये की प्रत्यक्ष सहायता प्रदान की गई है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि सरकार ने केवल कानून बनाने तक ही सीमित नहीं रही बल्कि पीड़ितों को वास्तविक राहत भी उपलब्ध कराई।

देश में व्याप्त नशाखोरी से भी लड़ना आसान नहीं है। अब भारत नशामुक्ति की ओर निकल पड़ा है। पूरी दुनिया जानती है कि भारत की युवा आबादी देश की सबसे बड़ी शक्ति है। विदेशी ड्रग्स ट्रेफिकिंग की समस्या से बचते हुए नशा मुक्त भारत अभियान ने जन-जागरूकता के क्षेत्र में नई मिसाल कायम की है। नशामुक्त भारत अभियान के तहत 26.28 करोड़ से अधिक नागरिकों तक पहुंच बनाई है। इसमें 9.56 करोड़ युवा शामिल हैं। यद्यपि भारतीय नशामुक्ति का इससे दावा तो नहीं होता लेकिन यदि करोड़ों युवा एक-दूसरे का हाथ पकड़कर नशाखोरी से मुक्ति का संकल्प ले रहे हैं तो उम्मीदें बढ़ती हैं। डिजिटल डैशबोर्ड, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की भागीदारी तथा सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के विरुद्ध सामाजिक आंदोलन खड़ा करने का प्रयास अब सफल हो रहा है।

नशाखोरी की समस्या से निजात पाने की कोशिश करते भारत में एक सभ्य समाज की पहचान उसके बुजुर्गों के प्रति व्यवहार से होती है, यह सशक्त विकसित हुई है। अटल-वयो-अभ्युदय योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों के लिए देखभाल और सम्मान को संस्थागत स्वरूप देखने को मिल रहा है। अब तक राष्ट्रीय वयोश्री शिगिरों के माध्यम से 85 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को 4.63 करोड़ सहायक उपकरण नि:शुल्क मिल चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय एल्डरलाइन सेवा 14567 ने 29 लाख से अधिक कॉलों का सफल समाधान कर वरिष्ठ नागरिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध कराई है। वयो-सम्मान के साथ ट्रांसजेंडर समुदाय की गरिमा और पहचान के लिए विंगत 12

वर्षों में जो सामाजिक ब्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने काम किया वह भी उल्लेखनीय लगता है। सरकार ने समझा है कि समावेशी विकास तभी संभव है जब समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर मिले। स्माइल योजना के अंतर्गत ट्रांसजेंडर समुदाय को कानूनी पहचान, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।

अब तक 33,189 ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाणपत्र जारी हुए। गरिमा गृह आश्रय केंद्रों की स्थापना तथा आयुष्मान भारत योजना में जेंडर-अफर्मेशन प्रक्रियाओं को शामिल करना इस समुदाय की गरिमा बहाली की दिशा में ऐतिहासिक पहल मानी जा रही है। सामाजिक न्याय योजना उद्यमिता और आत्मनिर्भरता के विस्तार तक देखी जा रही है। हम सब जानते हैं कि सामाजिक न्याय का वास्तविक उद्देश्य लाभार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है। अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों के लिए वेंचर कैपिटल फंड योजनाओं के माध्यम से 750 करोड़ रुपये से अधिक की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है। इससे हजारों युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। यह पहल लाभार्थियों को सहायता पाने वाले नागरिक से रोजगार सृजक उद्यमी में बदलने का प्रयास है। वहीं स्वच्छता कर्मियों के सम्मान की दिशा में बड़ा कदम कई जगह उठाये गए। नि:संदेह मुझे इस बात का गर्व है कि पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा में डॉ. आंबेडकर चेंबर के चेंबर प्रोफेसर के रूप में सफाई कर्मचारियों का सम्मान करके सामाजिक न्याय व गरिमा के दिशा में हमने भी सहयोग दिया है। देश के स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा और सम्मान लंबे समय से एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा रहा है। सरकार द्वारा नमस्ते योजना के तहत सीवर सफाई के पूर्ण मशीनीकरण पर जोर दिया गया है ताकि मानव जीवन को जोखिम में डालने वाली मैनुअल सफाई की प्रथा समाप्त हो सके। इस दिशा में 3.42 लाख सफाई कर्मचारियों के लिए 2,383.06 करोड़ रुपये की रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। यह पहल केवल तकनीकी सुधार नहीं

बल्कि मानव गरिमा की रक्षा का भी महत्वपूर्ण प्रयास है। लेकिन डॉ. आंबेडकर चेंबर के माध्यम से जो सम्मान हुआ उसका तो मैं प्रत्यक्षदर्शी व अनुभूति स्वयं मेरे पास है। ऐसे विविध पक्ष जो भारतीय सामाजिक न्याय की इबारत लिखने की पहल भारत में पिछले 12 वर्षों की उपलब्धियों में दर्ज हैं वे संकेत देती हैं कि भारत की सामाजिक न्याय नीति केवल अनुदान आधारित व्यवस्था से आगे बढ़कर अधिकार, गरिमा, सम्मान और अवसर आधारित मॉडल की ओर अग्रसर हुई है। शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, ट्रांसजेंडर अधिकार, वरिष्ठ नागरिक कल्याण, उद्यमिता और स्वच्छता कर्मियों की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में हुए निवेश ने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। हालांकि चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कल्याणकारी योजनाओं को जनसशक्तिकरण के प्रभावी उपकरण में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। आने वाले वर्षों में इन पहलों की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि लाभार्थियों तक सेवाओं की पहुंच कितनी व्यापक और प्रभावी बनती है। तब ही सरकार के 12 वर्ष के कठिन परिश्रम, ईमानदार व्यवस्था में हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को देश अंकित कर पायेगा और प्राप्त लक्ष्य वास्तविक अर्थों में साकार हो सकेगा।

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव गुटेरेश ने 2023 में कहा था कि सामाजिक न्याय के लिए वैश्विक गठबन्धन एक महत्वपूर्ण बल को प्रदर्शित करता है, जिससे टिकाऊ विकास को आगे बढ़ाने और मौजूदा व भावी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। यह पहल सामाजिक अनुबन्ध को फिर से तैयार करने पर लक्षित है, जिसे व्यक्ति-आधारित नीतियों से हासिल किया जाएगा और इन प्रयासों में सामाजिक न्याय पर विशेष बल दिया जाएगा। अभी तक दुनिया किस तरह आगे बढ़ी है किसी से छुपा नहीं है लेकिन इस बात का संतोष है कि भारत सरकार ने विगत 12 वर्षों में जो कार्य किया है यदि वह ऐसे ही करती रही तो सामाजिक न्याय की इबारत की दलीलें लोग भारत से दिशं करेगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषा सूत्र का बदलाव

इस फैसले से छात्रों को बहुमुखी फायदे होंगे, जो उनके मानसिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। जब एक छात्र एक से अधिक भाषाएं सीखता है, तो केवल उसके शब्दकोश में नए शब्द नहीं जुड़ते, बल्कि उसका पूरा व्यक्तित्व निखर जाता है। सबसे पहला बड़ा फायदा उनके मानसिक विकास में दिखता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि बचपन में ही दो या तीन भाषाएं सीख लेने वाले बच्चों का दिमाग ज्यादा लचीला और तेज होता है, जिससे उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग (समस्या सुलझाने की) क्षमता दूसरों से कहीं बेहतर हो जाती है।

अब अपनी शिक्षा प्रणाली में स्पैनिश, फ्रेंच और चीनी जैसी विदेशी भाषाओंको शामिल कर रहे हैं, ताकि उनके नागरिक बदलती दुनिया के साथ बेहतर संवाद कर सकें। बहुभाषावाद आज के युग की आवश्यकता है, न कि कोई अतिरिक्त बोझ।

इस फैसले से छात्रों को बहुमुखी फायदे होंगे, जो उनके मानसिक, व्यावसायिक और सामाजिक जीवन को पूरी तरह बदल देंगे। जब एक छात्र एक से अधिक भाषाएं सीखता है, तो केवल उसके शब्दकोश में नए शब्द नहीं जुड़ते,बल्कि उसका पूरा व्यक्तित्व निखर जाता है। सबसे पहला बड़ा फायदा उनके मानसिक विकास में दिखता है, वैज्ञानिकों का मानना है कि बचपन में ही दो या तीन भाषाएं सीख लेने वाले बच्चों का दिमाग ज्यादा लचीला और तेज होता है, जिससे उनकी प्रॉब्लम-सॉल्विंग (समस्या सुलझाने की) क्षमता दूसरों से कहीं बेहतर हो जाती है। इसके अलावा, आज की 'ग्लोबल विलेज' बन चुकी दुनिया में यह फैसला करियर और रोजगार के बेहतरान नए मौके खोलेगा। यदि किसी छात्र को हिंदी और अंग्रेजी के साथ-साथ जापानी या जर्मन जैसी विदेशी भाषाएं आती हैं, तो उसके लिए मल्टीनेशनल कंपनियों में नौकरियों के दरवाजे तुरंत खुलजाते हैं। इन सब के साथ ही, यह कदम देश में सांस्कृतिक एकता को भी मजबूतकरेगा; जब उत्तर भारत का बच्चा तमिल या कन्नड़ सीखेगा, और दक्षिण भारत काबच्चा हिंदी या बंगाली सीखेगा, तो उनके बीच की दूरियां खत्म होंगी क्योंकि भाषाएं केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का एकमजबूत पुल बनती हैं। इस नीति को सफलतापूर्वक लागू करने की राह में कुछ बड़ी चुनौतियाँ भी हैं, जिन पर समय रहते ध्यान देना बेहद जरूरी

है। क्योंकि, कोई भी अच्छी नीति तब तक जमीन पर कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसकी व्यावहारिक दिक्कतोंको दूर न किया जाए। सीबीएसई के सामने इस फॉर्मूले को लागू करने में सबसे पहेली और बड़ी चुनौती शिक्षकों की भारी कमी है, क्योंकि देश में अभी भी भारतीय और विदेशी भाषाओं के योग्य शिक्षकों की बहुत कमी है; अगर स्कूल में जर्मन या तमिल पढ़ाने के लिए टीचर ही नहीं होगा, तो छात्र चाहेकर भी उसे नहीं चुन पाएंगे। दूसरी बड़ी

समस्या किताबों की उपलब्धता को लेकर है, क्योंकि नए पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा नौवीं के लिए तीनों भाषाओं की किताबें समय पर उपलब्ध कराना एक बहुत बड़ा टास्क है। इन सब के साथ ही, इस फैसले से छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ने का लचीला और तेज होता है, इसलिए अचानक एक नई भाषा का जुड़ना बच्चों पर पड़ई का बोझ बढ़ सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जोपढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं। इस बेहतरीन नीति को कागजों से निकालकर हकीकत में बदलने और बच्चों के भविष्य को समचमक 'शानदार' बनाने के लिए हमें कुछ लोक से हटकर कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, भाषा सीखने से सीघरे शुरू करें। इन सब के साथ ही, इस फैसले से छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ने का

भी खतरा है; चूंकि कक्षा नौवीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी का शुरुआती चरण होती है, इसलिए अचानक एक नई भाषा का जुड़ना बच्चों पर पड़ई का बोझ बढ़ सकता है, खासकर उन बच्चों के लिए जोपढ़ाई में थोड़े कमजोर हैं। इस बेहतरीन नीति को कागजों से निकालकर हकीकत में बदलने और बच्चों के भविष्य को समचमक 'शानदार' बनाने के लिए हमें कुछ लोक से हटकर कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, भाषा सीखने से सीघरे शुरू करें। इन सब के साथ ही, इस फैसले से छात्रों पर मानसिक दबाव बढ़ने का

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक

उमेश त्रिवेदी

कार्यकारी प्रधान संपादक

अजय बोक्लि

संपादक (मध्यप्रदेश)

विनोद तिवारी

वरिष्ठ संपादक

पंकज शुक्ला

प्रबंध संपादक

अरुण पटेल

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,

Ph.No. 0755-2422692, 4059111

Email- subahsaverenews@gmail.com

‘सुबह सवेरे’ में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

सुरेश रायकवार

लेखक व्यंग्यकार हैं।

दयारामजी के पोता-पोती सत्यम व साक्षी बोले - दादाजी! बचपन में तो आपने हमें राजा-राजा, चोर-सिपाही, बंदर-भालू की कहानियाँ सुनाई, आज आपसे कोई नई कहानी सुनने की इच्छा है। ठीक है बच्चों! तो आज मैं तुम्हें मच्छर-मच्छरणी की एक बिल्कुल नई कहानी सुनाता हूँ, सुनो - यह कथा है आज से 150 वर्ष पहले की जब फ्रांस के एक शहर में दो पहलवानों के बीच हुई कुश्ती में, एक पहलवान ने एक मच्छर को मसला और दूसरे पहलवान को ललकारते हुए बोला कि मुझे पंगा मत लेना, नहीं तो मच्छर के जैसा मसल दूंगा। मच्छरणी ने देखा कि पहलवान ने उसके मच्छर को बिना किसी कसूर ही मसल कर मार डाला। यह देखकर उस एनाप्लाज्ड प्रजाति के मच्छरणी ने उसी समय प्रण लिया कि जैसे नागिन अपने नाग का बदला लेती है वह भी मानव जाति से अपने मच्छर का बदला लेकर ही रहेगी। इसके बाद

मच्छरणी ने अपनी गैंग की साथियों के साथ मिलकर वहाँ के तमाम अत्याचारी पूंजीपतियों, जमाखोर, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, व्यभिचारी, चोर-डकैतर-लफंगे, बेईमान, शांति और झूठे नेता, भ्रष्ट-अधिकारी, हत्यारे, नशेड़ी आदि अपराधी-वृत्ति के छटे हुए लोगों का खून चूस-चूस कर अपने उदर में एकत्र किया। मच्छरणियों के पेट में एकत्रित विभिन्न अत्याचारियों का यह खून, अब एक खतरनाक जहर बन चुका था। इसके बाद मच्छरणियों की इस गैंग ने उस पहलवान सहित शहर के अन्य कई लोगों के शरीर में अपने डंक के माध्यम से इस जहर को प्लांट कर दिया। धीरे-धीरे पूरे शहर में लोग बुखार से परेशान होने लगे। शहर के चारों ओर हाहाकार मचने लगा, मानव को इस तरह परेशान देख मच्छरणी वैसे ही प्रसन्न हुईं जैसे बाहुबलियों के सहारे चुनाव जीतने पर कोई पार्टी का नेता। लगभग चार-पाँच वर्ष लोग इस बुखार से अत्यधिक परेशान रहे, अंततः सन 1880 में फ्रांस ने मलेरिया परजीवी की खोज कर ली। मलेरिया की खोज भले ही कर ली गई किन्तु एनाप्लाज्ड मच्छरणी का, मानव से बदला लेने का सिलसिला पीढ़ी-दर-पीढ़ी अब भी चला आ रहा है, उसमे कमी के स्थान पर बढ़ोतरी ही दिखाई देती है, फ्रांस के उस शहर से निकल कर इनकी प्रजाति ने पूरी दुनिया के मानव को अपना निशाना बना लिया। एनाप्लाज्ड प्रजाति की मच्छरणियों ने जो बच्चे पैदा किए वो भी

आतंकवादी ही पैदा किए और उनके नाम रखे हैं, डेंगु और चिकनगुनिया जो मलेरिया से भी खतरनाक हैं। पहले तो ये गंदे पानी में ही पैदा होते थे किन्तु आजकल इतने एडवांस हो गए है कि साफ पानी में भी पैदा हो जाते हैं। आधुनिक प्रजाति के मच्छर इतने शक्ति हो गए हैं कि कभी-कभी इन मच्छरों को मारने के चक्कर में आदमी स्वयं को थपड़ मार लेता है किन्तु मच्छर नहीं मार पाता है। सन 2022 में रूस ने यूक्रेन को और अभी फरवरी 2026 में अमेरिका और इजरायल के महामानवों ने सोचा कि ईरान को मच्छर जैसा मसल देंगे, किन्तु अब युद्ध में उतरकर इनके पसीने छूट रहे हैं। इन्हे कौन समझाये कि आजकल मच्छर को ही मसलना या मारना आसान नहीं रहा तो ये तो स्वतंत्र देश हैं। इस एनाप्लाज्ड मच्छरणी के कांटे का ऐसा प्रभाव है कि आदमी एक सप्ताह तक तो 103-104 डिग्री बुखार में ही तपता रहता है और यदि नहीं संभल पाया तो उसके दिमाग तक में मलेरिया फैला देती है। नाग-नागिन का जहर तो मंत्र से, दवाइयों से उतर भी जाता है किन्तु इन मच्छरणी रानी के जहर के मंत्र अभी तक नहीं बन पाये हैं, ना ही कोई वैक्सिन बन पाई। मच्छरों से बचवच के लिए देश में प्रतिवर्ष भारी-भरकम राशि के बजट प्रावधान होते है, बजट की राशि तो नेताओं और कर्मचारियों की जेबों में गायब हो जाती है किन्तु मच्छर-मच्छरणी

मंहाई की तरह प्रतिवर्ष बढ़ते ही जाते हैं। जैसे सड़क निर्माण, पुत निर्माण, बांध निर्माण, टीकाकरण आदि सरकारी कार्यों में भ्रष्टाचार सहजसाध्य होता है वैसे ही, कहते है मलेरिया विभाग में भी बहुत स्कोप है। सरकारें अपने देश की महान विभूतियों के दिवस भले ही ना मनाए किन्तु 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस और 20 अगस्त को मच्छर दिवस अवश्य मनाती है। मच्छरों को भगाने के लिए ये सरकारें कई कदम उठाती हैं, जैसे शहरों कि गलियों में धुआँ उड़ाती है, दवाइयों का छिड़काव करवाती हैं, जागरूकता के विशेष अभियान चलाती है आदि। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मच्छर और मानव एक ही राशी के होते है। आदमी कहीं रिशवत लेकर खून चूसता है तो कहीं घोटाले करके। मालिक नौकरों को, तो धनवान गरीबों का खून चूसता है। डॉक्टर मोटी-मोटी फीस लेकर, तो दवाई वाले नाममात्र की लागत वाली दवाइयों के हजारों गुना दाम वसूल कर या नकली दवाइयों खिलाकर मरीजों का खून चूस रहे हैं। किन्तु मच्छर इस मामले में कोई भेदभाव नहीं करते है वे खून चूसते समय यह नहीं देखते कि भौत आमीर है कौन गरीब, कौन हिन्दू है कौन मुस्लिम है, जहां मोटी मिल जाए उसीका खून चूस लेते है आखिर सबके खून का रंग और स्वाद एक-सा ही तो होता है।

विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर विशेष

अतुल गोयल

लेखक न्यूयॉर्क की कंपनी में सॉफ्टवेयर डवलपमेंट इंजीनियर हैं।



हर वर्ष 12 जून को ‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’ मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2002 में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने बच्चों को मजदूरी से मुक्त कराने और उनके बचपन को सुक्षित करने के उद्देश्य से की थी। वर्ष 2026 में इस दिवस की थीम है ‘बाल श्रम के खिलाफ लाल कार्ड: बच्चों के लिए निष्पक्ष खेल, व्यस्कों के लिए सम्मानजनक काम’। बाल श्रम बच्चों के मौलिक अधिकारों के साथ ही उनके जीवन की संभावनाओं को भी निगल रहा है। छोटे-छोटे ढबों, चाय की दुकानों, ईंट भट्टों, कालीन बुनाई केंद्रों, बीड़ी, कांच, पटाखा और चूड़ी उद्योगों में काम करते मासूम बच्चों को देखना एक आम दृश्य है। बाल श्रम कोई सरल या सतही समस्या नहीं है। यह उस गंभीर सामाजिक विडंबना का परिणाम है, जिसमें समाज, सरकार, उद्योग और व्याक्तिगत स्वार्थ की जटिलताएं आपस में उलझी हुई हैं। किसी भी बच्चे को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम पर लगाना, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल जैसी मूलभूत चीजों से दूर करना, सीधा-सीधा उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

दुनियाभर में लगभग 16 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं, जिनमें से लगभग 8 करोड़ बच्चे खतरनाक श्रम कार्यों में लगे हुए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि हर 10 में से एक बच्चा अपने बचपन के बजाय किसी मजदूरी की जगह पर खड़ा है। इन 16 करोड़ बच्चों में से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लगभग 4.9 करोड़, अफ्रीका में लगभग 8.6 करोड़, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 1.1 करोड़ बच्चे इस समस्या से पीड़ित हैं। इस समय सर्वाधिक गंभीर स्थिति उप-सहारा अफ्रीका की है, जहां प्रत्येक दसवां बच्चा श्रमिक है। भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 1.01 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। हालांकि पिछले दो दशकों में शिक्षा के प्रचार, सरकारी योजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों की मेहनत से बाल श्रमिकों की संख्या में गिरावट आई है लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों, घरेलू कामों और खेती-बाड़ी जैसे असंगठित क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति अब भी भारी है। महामारी के बाद की परिस्थितियों में बाल श्रम का पुनरुत्थान देखने को मिला है। कोविड-19 के कारण परिवारों की आर्थिक स्थिति खराब होने से कई बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना पड़ा। भारत के कई हिस्सों में बच्चों को आज भी पढ़ाई और खेल के बजाय दिनभर

विश्व बाल निषेध दिवस

डॉ. रमेश ठाकुर

सदस्य, राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान, भारत सरकार ‘बालश्रम’ समस्या दशकों से न सिर्फ भारत में, बल्कि समूचे संसार में प्रचलित रही है। वैसे, बालश्रम अपने आप में किसी कलंक से कम नहीं? भारत की बात करें, तो लाखों की संख्या में नौनिहाल विभिन्न राज्यों में किसी न किसी मजबूरी के चलते अपने जीवन को श्रम की भड़ियों में झुका हुआ है। हालांकि, सरकारी और सामाजिक स्तर पर रोकने की कोशिशों में कोई कोर-कसर नहीं? पर, समस्या घटने के जगह बढ़ ही रही है दिनोदिन। आज ‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’ है जो सालाना 12 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष-2002 में ‘अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन’ की अगुआई में बड़े वैचारिक स्तर पर मुक़रर की गई थी। दिवस का आज 24वीं संस्करण पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। मकसद, चाइल्ड लेबर के विरुद्ध वैश्विक मंचों पर ईमानदारी से जागरूकता फैलाना और बच्चों के अधिकारों की रक्षा करने को लेकर जगमानस को आह्वान करना।

कानून और संविधान में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सहित गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित है। बावजूद इसके गरीब, अक्षम और असहाय बच्चों के साथ असमानता और भेदभाव किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-24 के मुताबिक किसी भी कर-कारखानों में 14 वर्ष सेकम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बाद भी चोरी-छिपे बच्चों से काम करवाया जाता है। ये बात शासन से लेकर स्थानीय प्रशासन केलोग भी भली

सायवर सुरक्षा

ममता कुशवाहा

लेखक शिक्षक हैं।



कुछ समय पहले भारत में एक चर्चित घटना सामने आई, जब एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म पर बच्चों के व्यक्तिगत डेटा के दुरुपयोग और अनुचितविज्ञापनों को लेकर गंभीर प्रश्न उठे। इसी प्रकार कई स्कूलों में उपयोगहोने वाले शैक्षणिक ऐप्स पर यह आशंका लगा कि वे बच्चों की गतिविधियों, व्यवहार और पसंद-नापसंद से जुड़ी सूचनाएँ एकत्र कर रहे हैं। इन घटनाओं ने एक बार फिर यह प्रश्न हमारे सामने खड़ा कर दिया कि जिस डिजिटल संसार को हम बच्चों के उज्ज्वल भविष्य का माध्यम मान रहे हैं, क्या वह वास्तव में उनके लिए सुरक्षित भी है? आज जब स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल शिक्षा बच्चों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, तब डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा केवल तकनीकी विषय नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक, नैतिक, कानूनी और शैक्षिक चिंता का विषय बन चुकी है। इक्कीसवीं सदी के इस डिजिटल युग में बच्चों का इंटरनेट से परिचय बहुत कम आयु में ही हो जाता है। कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा ने इस प्रक्रिया को और तेज कर दिया। अब बच्चे न केवल पढ़ाई के लिए बल्कि मनोरंजन, मित्रता, संवाद और रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए भी इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। डिजिटल तकनीक ने शिक्षा के अवसरों का विस्तार किया है, ज्ञान को अधिक सुलभ बनाया है और बच्चों को वैश्विक दुनिया से जोड़ने का कार्य किया है। लेकिन इसके साथ ही यह दुनिया अनेक अदृश्य खतरों से भी भरी हुई है। साइबर बुलिंग, ऑनलाइन शोषण, फर्जी पहचान, डेटा चोरी, डिजिटल लत और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव जैसे मुद्दे तेजी से बढ़ रहे हैं।

बचपन को लौटाना होगा उसका खोया आसमान

दुनियाभर में लगभग 16 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं, जिनमें से लगभग 8 करोड़ बच्चे खतरनाक श्रम कार्यों में लगे हुए हैं। यह आंकड़ा दर्शाता है कि हर 10 में से एक बच्चा अपने बचपन के बजाय किसी मजदूरी की जगह पर खड़ा है। इन 16 करोड़ बच्चों में से एशिया और प्रशांत क्षेत्र में लगभग 4.9 करोड़, अफ्रीका में लगभग 8.6 करोड़, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में 1.1 करोड़ बच्चे इस समस्या से पीड़ित हैं। इस समय सर्वाधिक गंभीर स्थिति उप-सहारा अफ्रीका की है, जहां प्रत्येक दसवां बच्चा श्रमिक है। भारत की स्थिति भी चिंताजनक है। भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु के लगभग 1.01 करोड़ बच्चे बाल श्रमिक हैं। हालांकि पिछले दो दशकों में शिक्षा के प्रचार, सरकारी योजनाओं और गैर-सरकारी संगठनों की मेहनत से बाल श्रमिकों की संख्या में गिरावट आई है लेकिन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों, घरेलू कामों और खेती-बाड़ी जैसे असंगठित क्षेत्रों में इनकी उपस्थिति अब भी भारी है।

मजदूरी में झोंक दिया जाता है। कभी वे सड़क किनारे भीख मांगते, कचरा बीनते, जूते पॉलिश करते या कारखानों में सस्ते श्रमिक की तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। बाल श्रम बच्चों को न केवल शिक्षा के अधिकार से वंचित करता है बल्कि उन्हें शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर भी हानि पहुंचाता है। अस्वच्छ और खतरनाक वातावरण में काम करने के कारण बच्चों को सांस की बीमारी, अस्थमा, त्वचा रोग, टीबी, रीढ़ की हड्डी के विकार और कैंसर तक हो सकता है। साथ ही लंबे समय तक पोषण की कमी और शारीरिक शोषण के कारण वे उम्र से पहले बूढ़े दिखने लगते हैं और मानसिक रूप से भी अवसाद, डर, हीनता ग्र्थि और अपराध की दुनिया की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं। यह समस्या सिर्फ मानवीय संकट नहीं है, यह आर्थिक और सामाजिक विकास में भी बाधा है। एक समाज का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। यदि वह पीढ़ी शिक्षा के बजाय बचपन में ही मजदूरी करने लग जाए तो न केवल उसका जीवन अधकारमय हो जाता है बल्कि पूरे राष्ट्र की प्रगति भी अवरुद्ध हो जाती है। मानव संसाधन की क्षति, उत्पादकता में गिरावट और सामाजिक असमानता जैसे दुष्परिणाम सामने आते हैं।

बाल श्रम के पीछे अनेक कारण हैं लेकिन गरीबी इसकी सबसे मजबूत जड़ है। जब एक परिवार अपनी बुनियादी आवश्यकताओं भोजन, पानी, दवा और शिक्षा को पूरा नहीं कर पाता तो बच्चे को स्कूल भेजने के बजाय

काम पर भेज देना मजबूरी बन जाती है। इसके अलावा निरक्षरता, कुपोषण, किसी सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच का अभाव, बाल तस्करी और अज्ञानता भी बाल श्रम के प्रमुख कारक हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभिभावकों को यह तक पता नहीं होता कि उनके बच्चे को मजदूरी पर लगाना कानूनी अपराध है और संविधान उनके बच्चे को

किसी शोरी को खतरनाक उद्योगों में काम पर लगाने पर भी रोक लगाई गई है। इसके बावजूद इस कानून की प्रभावशीलता संदिग्ध बनी हुई है क्योंकि निगरानी, प्रवर्तन और सजा की प्रक्रियाएं अपेक्षाकृत कमजोर हैं। कई बार बच्चा ‘परिवार की मदद’ के नाम पर घरेलू उद्योगों में कार्य करता रहता है और कानून इसकी सही से व्याख्या नहीं कर पाता। बाल श्रम से जुड़ी एक बड़ी विडंबना यह भी है कि कई बार इन्हें बचाने वाले कानून ही इनके अधिकारों की राह में बाधा बन जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जब कानून में यह प्रावधान है कि बच्चा पारिवारिक काम कर सकता है तो इसका फायदा उठाकर बाल मजदूरी को पारिवारिक रोजगार बताकर उसे वैध ठहराने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा असंगठित क्षेत्रों में, जहां निरीक्षण की व्यवस्था नहीं है, वहां तो स्थिति और भी भयावह होती है। भारत सरकार ने ‘राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना’ जैसी

योजनाएं भी चलाई हैं, जिनका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों को बचाकर उन्हें विशेष विद्यालयों में दाखिल कराना और उन्हें पुनर्वास सहायता देना है लेकिन इन योजनाओं का कार्यान्वयन और जमीनी असर आज भी सीमित और असमान है। कई जिलों में इनकी उपस्थिति नहीं है और जहां है भी, वहां संसाधनों और प्रशिक्षित मानवबल

की कमी है। यदि भारत को सच में बाल श्रम मुक्त बनाना है तो केवल कानून बनाना या कुछ योजनाएं शुरू करना पर्याप्त नहीं होगा। इसके लिए व्यापक सामाजिक बदलाव की आवश्यकता है। सबसे पहले तो सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मूलभूत क्षेत्रों में निवेश बढ़ाना होगा ताकि गरीब परिवार अपने बच्चों को स्कूल भेजने में सक्षम बनें। साथ ही कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत बनाकर युवाओं को रोजगार योग्य बनाना होगा ताकि गरीबी का दुष्चक्र टूट सके। दूसरी ओर, समाज को भी बाल श्रम के खिलाफ एकजुट होना होगा। जब तक हम अपने आस-पास किसी ढाबे या कारखाने में बच्चों को काम करते देखते हुए चुप रहते हैं, तब तक इस समस्या का हल नहीं निकल सकता।

स्कूल, पंचायत, युवा क्लब, महिला संगठन, सब मिलकर बाल श्रम के खिलाफ सामूहिक प्रयास करें, तभी बात बनेगी। प्रौद्योगिकी के इस युग में आवश्यक हो गया है कि डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके बच्चों के अधिकारों की रक्षा की जाए। सोशल मीडिया और मोबाइल ऐप्स के जरिये भी बाल श्रम की घटनाओं की रिपोर्टिंग को सुलभ और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसके अलावा, बच्चों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देना और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लाना बेहद जरूरी है। बाल श्रम केवल एक सामाजिक या कानूनी समस्या नहीं है, यह मानवता के खिलाफ अपराध है। जब तक एक भी बच्चा स्कूल के बजाय मजदूरी कर रहा है, तब तक हम एक सभ्य समाज कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। जिस दिन हर बच्चा पढ़ाई, खेल और स्वप्न देखने की आजादी महसूस करेगा, वही दिन होगा, जब भारत वास्तव में ‘नया भारत’ कहलाने योग्य बनेगा। हमें उस दिशा में आज ही, अभी से, पूरी ताकत और नीयत के साथ चलना होगा। यही हमारे बच्चों के प्रति सच्चा कर्तव्य और भविष्य के भारत के प्रति हमारी जिम्मेदारी है।

योजनाएं भी चलाई हैं, जिनका उद्देश्य 9 से 14 वर्ष की आयु के बाल श्रमिकों को बचाकर उन्हें विशेष विद्यालयों में दाखिल कराना और उन्हें पुनर्वास सहायता देना है लेकिन इन योजनाओं का कार्यान्वयन और जमीनी असर आज भी सीमित और असमान है। कई जिलों में इनकी उपस्थिति नहीं है और जहां है भी, वहां संसाधनों और प्रशिक्षित मानवबल



‘बालश्रम’ समाप्ति के लिए वैश्विक मंथन की दरकार

कानून और संविधान में प्रत्येक बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सहित गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार सुनिश्चित है। बावजूद इसके गरीब, अक्षम और असहाय बच्चों के साथ असमानता और भेदभाव किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-24 के मुताबिक किसी भी कर-कारखानों में 14 वर्ष सेकम उम्र के बच्चों के रोजगार पर पूर्ण प्रतिबंध होने के बाद भी चोरी-छिपे बच्चों से काम करवाया जाता है। ये बात शासन से लेकर स्थानीय प्रशासन केलोग भी भली-भांति जानते हैं। लेकिन कार्रवाई के जगह अपनी आंख मूंदे रहते हैं। जबकि, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने साल-1986 में बाल श्रम के विरुद्ध रोकथाम के लिए कठोर अधिनियम बनाया था जिसके तहत बच्चों को खतरनाक जगहों जैसे खादानों, मशीनरी कारखानों में जबरन काम करवानेवालों पर दंडनीय अपराध का प्रावधान तय किया था। लेकिन इस कठोर कानून कीभी खुलआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं।

भांति जानते हैं। लेकिन कार्रवाई के जगह अपनी आंख मूंदे रहते हैं। जबकि, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने साल-1986 में बाल श्रम के विरुद्ध रोकथाम के लिए कठोर अधिनियम बनाया था जिसके तहत बच्चों को खतरनाक जगहों जैसे खादानों, मशीनरी कारखानों में जबरन काम करवाने वालों पर दंडनीय अपराध का प्रावधान तय किया था। लेकिन इस कठोर कानून कीभी खुलआम धज्जियां उड़ाई जाती हैं।

दरअसल, बाल श्रम ऐसा अभिशाप है जो किसी भी विकसित मुल्क की प्रगति में घोर बाधक रूपी असर छोड़ता है। बोते वर्ष ‘विश्व बाल श्रम निषेध दिवस’-2025 की थीम थी ‘प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और काम करना बाकी है’। वहीं, इसवर्ष यानी 2026 की थीम है ‘बाल श्रम को लाल कार्ड-बच्चों के लिए उचित खेल, व्यस्कों के लिए सम्मानजनक काम’ रखी गई है। गंभीरता से अगर विमर्श करें, तो ये दिवस तभी सफलता अर्जित कर पाएगा। जब सभी एकजुट होकर इस बुराई से लड़ेंगे। संकल्प



लें कि बाल श्रम के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाएंगे और मासूमों के बचपन के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। बच्चे देश का भविष्य हैं। हम सबका दायित्व है कि इन्हें बेहतर ‘आज’ दें

ताकि सुनहरे ‘कल’ का निर्माण कर सकें। बालश्रम के विश्वस्तरीय आंकड़े रोंगटे खड़े करते हैं। बाल अधिकार रक्षक संस्थाओं और उनके विशेषज्ञों के अनुसार करीब 1 करोड़ 1 लाख बच्चे पूरे भारत में बाल श्रम में शामिल हैं जिनमें 56 लाख लड़के और 45 लाख लड़कियां,जिनकी उम्र 5 से 14 के बीच है। ये बच्चे बीड़ी बनाना, सूत काटना, होटल-ढाबों में चाकरी करना, कृषि कार्यों, कालीन बुनाई व घरेलू कार्योंमें ज्यादा लगे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में बाल श्रमिकों की सर्वाधिक संख्या को सरकार की अधिकृत बाल समितियों द्वारा बताई है। वहीं, पूरे विश्व में बाल श्रमिकों की बालकें, तो ‘अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन’ और ‘यूनिसेफ’ की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के 198 देशों में इस समय 13 करोड़ 80 लाख से अधिक बच्चे इस वक्त चाइल्ड लेबर में सलिल हैं। यानी प्रत्येक 10वें बच्चे पर एक बच्चा बाल मजदूरी कर रहा है। इस कलंक को जड़ से खत्म

करने के लिए एक और वैश्विक मंच सजाने की जरूरत है जहां इस मसले पर विमर्श करके पूर्व समाधानका कोई मुकम्मल रास्ता निकाला जा सके।

जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 5-11 वर्ष आयु वर्ग की कुल बाल जनसंख्या 259.6 मिलियन थी जिसमें 10 मिलियन से अधिक यानी 4 फीसदी आबादी बाल श्रमिकों की पाई गई थी। आज 2026 में 146 करोड़ आबादी में इन आंकड़ों परगौरफरमाते हैं तो ये आंकड़े काफी बड़े दिखाई देते हैं। बाल अपराध, बालश्रमिकों की संख्या में इजाफा बीते कुछ दशकों में तेजी से बढ़ा है। भारतमें सालाना करीब 2.3 से 2.5 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं। हर दिन औसतन 63 हजार से 73 हजार बच्चे जन्म लेते हैं जिसमें गरीब और अल्पसंख्यकों की संख्या सर्वाधिक है। हालांकि, ‘हम दो, हमारे दो’ के स्लोगन के बाद शिक्षित वर्ग में जनसंख्या नियंत्रण भाग पनपा है। बाल श्रम कलंक को मिटाने के लिए सबसे पहले प्राथमिक शिक्षा पर ज्यादा ध्यान देना होगा। शिक्षा के अधिकार की अलख शहरों के मुकामबले कस्बों-गांवों में ज्यादा फैलाने के लिए जरूर है। केंद्र व राज्यों सरकारों को नई नीति बनानी होगी जिसमें शुरुआती शिक्षा से कोई बच्चा वंचित न रह सके। ऐसा करने के बाद ही बाल श्रम जैसे अभिशाप से मुक्ति पाने की कल्पना की जा सकेगी।

इंटरनेट के युग में बचपन की रक्षा का दायित्व

डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू उनकी गोपनीयता और व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा है। आज लगभग हर ऐप, वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं की जानकारी एकत्र करता है। बच्चों की उम्र, पसंद, गतिविधियाँ, लोकेशन, मित्रों का नेटवर्क और व्यवहार संबंधी सूचनाएँ डिजिटल कंपनियों के लिए मूल्यवान संसाधन बन गई हैं। समस्या यह है कि अधिकांश बच्चे और उनके अभिभावक यह नहीं समझ पाते कि उनके द्वारा साझा की गई जानकारी का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है। कई बार बच्चे खेल-खेल में अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा कर देते हैं, जिसका दुरुपयोग विज्ञापन कंपनियाँ या अन्य व्यावसायिक संस्थाएँ कर सकती हैं।

इसी संदर्भ में भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (DPDP) अधिनियम, 2023 लागू किया है। यह कानून व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, उपयोग और संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इस कानून के अंतर्गत बच्चों के डेटा के लिए विशेष सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए हैं। किसी भी डिजिटल मंच को बच्चे की व्यक्तिगत जानकारी संसाधित करने से पहले अभिभावक की सुलापित सहमति प्राप्त करनी होगी। साथ ही बच्चों को लक्षित विज्ञापनों और व्यवहार आधारित ट्रैकिंग से बचाने का प्रयास किया गया है। यह कानून बच्चों की डिजिटल सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता उसके वास्तविक क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी।

हालाँकि, केवल कानून बना देने से समस्या का समाधान नहीं हो जाता। व्यवहारिक स्तर पर अनेक चुनौतियाँ मौजूद हैं। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में सभी अभिभावकों के पास डिजिटल साक्षरता का समान स्तर नहीं है। कई माता-

पिता स्वयं नहीं जानते कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म या मोबाइल एप्लिकेशन किस प्रकार डेटा एकत्र करते हैं। परिणामस्वरूप वे बिनापढ़े या समझे सहमति दे देते हैं। इस स्थिति में ‘सत्यापित अभिभावकीयसहमति’ कई बार केवल एक औपचारिक प्रक्रिया बनकर रह जाती है। इसलिए डिजिटल सुरक्षा के लिए केवल कानूनी प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं; जन-जागरूकता और डिजिटल शिक्षा भी उतनी ही आवश्यक है।

बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण आयाम सोशल मीडिया है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और अन्य प्लेटफ़ॉर्म बच्चों के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं। ये मंच रचनात्मकता और संवाद के अवसर तो प्रदान करते हैं, लेकिन साथ ही तुलना, प्रतिस्पर्धा और मान्यता प्राप्त करने की प्रवृत्ति भी बढ़ावा देते हैं। सोशल मीडिया पर मिलने वाली लाइक्स और कमेंट्स बच्चों के आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। कई बच्चे साइबर बुलिंग, ट्रोलिंग और ऑनलाइन उत्पीड़न का शिकार होते हैं। लगातार नकारात्मक टिप्पणियाँ उनके मनोवैज्ञानिक विकास पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। कई शोध यह संकेत देते हैं कि सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग अवसाद, चिंता और आत्मसम्मान में कमी जैसी समस्याओं को जन्म दे सकता है।

ऑनलाइन गेमिंग भी बच्चों की डिजिटल सुरक्षा से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है। आधुनिक गेम केवल मनोरंजन का साधन नहीं रह गए हैं, बल्कि वे जटिल डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा बन चुके हैं। इन खेलों में बच्चों को लंबे समय तक जोड़

लें-देन कर बैठते हैं या फिरऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैंजिनको पहचान संदिग्ध होती है।

डिजिटल शिक्षा के विस्तार ने भी बच्चों की गोपनीयता के संबंध में नई चिंताएँ पैदा की हैं। आज स्कूल और शैक्षणिक संस्थान उपस्थिति दर्ज करने, असाइनमेंट जमा करने, प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और अभिभावकों से संवाद करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इन प्रणालियों के माध्यम से बच्चों के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र किया जाता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस डेटा के उपयोग और संरक्षण को लेकर स्पष्ट नीतियाँ नहीं होतीं। कई बार शैक्षणिक डेटा और व्यावसायिक



लेन-देन कर बैठते हैं या फिरऐसे लोगों के संपर्क में आ जाते हैंजिनको पहचान संदिग्ध होती है।

डिजिटल शिक्षा के विस्तार ने भी बच्चों की गोपनीयता के संबंध में नई चिंताएँ पैदा की हैं। आज स्कूल और शैक्षणिक संस्थान उपस्थिति दर्ज करने, असाइनमेंट जमा करने, प्रदर्शन का मूल्यांकन करने और अभिभावकों से संवाद करने के लिए डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इन प्रणालियों के माध्यम से बच्चों के बारे में बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र किया जाता है। समस्या तब उत्पन्न होती है जब इस डेटा के उपयोग और संरक्षण को लेकर स्पष्ट नीतियाँ नहीं होतीं। कई बार शैक्षणिक डेटा और व्यावसायिक

डिजिटल साक्षरता को शिक्षा का अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए। बच्चों को इंटरनेट के सुरक्षितउपयोग, डेटा गोपनीयता, साइबर सुरक्षा और ऑनलाइन नैतिकता के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। यदि बच्चे यह समझने लगे कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म कैसे कार्य करते हैं और उनके डेटा का उपयोग कैसे किया जा रहा है, तो वे अधिक जिम्मेदार और सुरक्षित डिजिटल नागरिक बन सकेंगे।

सरकार और प्रौद्योगिकी कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। डिजिटल मंचों को ‘प्राइवेंसी ब्याज डिजाइन’ के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, अर्थात् उत्पादों और सेवाओं के इस प्रकार विकास किया जाए कि गोपनीयता और सुरक्षा प्राथम्य से ही उनकी संरचना का हिस्सा हो। बच्चों के लिए विशेषरूप से तैयार किए गए प्लेटफ़ॉर्म में न्यूनतम डेटा संग्रह, पारदर्शी नीतियाँ और मजबूत सुरक्षा उपाय होने चाहिए। साथ ही नियामक संस्थाओं को कानूनों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा।

हमें यह समझना आवश्यक है कि डिजिटल युग में बच्चों की सुरक्षा केवल तकनीकी सुरक्षा का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह उनके अधिकारों, गरिमा और भविष्य की रक्षा का प्रश्न है। डिजिटल दुनिया बच्चों को असीम संभावनाएँ प्रदान करती है, परंतु इन संभावनाओं का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। कानून, शिक्षा, तकनीकी और सामाजिक जागरूकता के समन्वित प्रयासों से ही ऐसा डिजिटल वातावरण निर्मित किया जा सकता है जहाँ बच्चे केवल इंटरनेट के उपयोगकर्ता न हों, बल्कि सुरक्षित, सशक्त और जागरूक डिजिटल नागरिक के रूप में विकसित हो सकें। यही डिजिटल युग की सबसे बड़ी आवश्यकता और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, राष्ट्रसेवा का सर्वोच्च साधन बनाया

राजेन्द्र शुक्ल

भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कुछ क्षण ऐसे हैं जो केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं होते, बल्कि राष्ट्र की सामूहिक आकांक्षाओं और विश्वास का प्रतीक बन जाते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के देश की जनता के निरंतर विश्वास के साथ ऐतिहासिक जनदेश प्राप्त कर दीर्घकाल तक राष्ट्र का नेतृत्व करने का अवसर प्राप्त करना गौरवपूर्ण क्षण है। यह केवल एक व्यक्ति की सफलता नहीं, बल्कि नए भारत के निर्माण के संकल्प, सेवा और सुशासन की विजय है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने राजनीति को सत्ता का माध्यम नहीं, बल्कि राष्ट्रसेवा का सर्वोच्च साधन बनाया। उनके नेतृत्व में भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी एक नई पहचान स्थापित की है। आज विश्व भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि एक निर्णायक शक्ति, विश्वसनीय साझेदार और भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखता है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की आवाज पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हुई है और यह परिवर्तन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच तथा निर्णायक नेतृत्व का परिणाम है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित होना केवल राजनीतिक उपलब्धि नहीं, यह भारत की जनता के अटूट विश्वास और स्नेह का प्रतीक है। निरंतर जनसमर्थन किसी पद या प्रचार से नहीं, बल्कि सेवा, समर्पण, पारदर्शिता, निर्णायक नेतृत्व और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की कार्यशैली से अर्जित होता है। प्रधानमंत्री

आज विश्व भारत को निर्णायक शक्ति, विश्वसनीय साझेदार और भविष्य के नेतृत्वकर्ता के रूप में देखता है

श्री मोदी ने स्वयं को सदैव ‘प्रधानसेवक’ के रूप में प्रस्तुत किया और गरीब, किसान, महिला, युवा तथा समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का सतत प्रयास किया। यही कारण है कि देश की जनता ने बार-बार उन पर अपना विश्वास व्यक्त किया। उनका सादगीपूर्ण व्यक्तित्व, अथक कार्यशक्ति, दूरदर्शी सोच और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का स्पष्ट संकल्प करोड़ों भारतीयों को प्रेरित करता है तथा उन्हें जन-जन का प्रिय नेता बनाता है।

प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति, आधारभूत संरचना, रक्षा क्षमता, अंतरिक्ष विज्ञान और आर्थिक सुधारों के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्राप्ति की है। जनधन, उज्ज्वला, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम किसान सम्मान निधि और डिजिटल इंडिया जैसे अनेक कार्यक्रमों ने करोड़ों नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाया है। शासन की योजनाएँ पहली बार अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पारदर्शी ढंग से पहुँची हैं।

भारतीय संस्कृति और आस्था के पुनर्जागरण का यह कालखंड इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में रहेगा अंकित – भारतीय संस्कृति और आस्था के पुनर्जागरण का भी यह कालखंड इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित रहेगा। अयोध्या में

प्रभु श्रीराम के भव्य मंदिर का निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करोड़ों भारतीयों की सदियों पुरानी आस्था की पूर्ति का क्षण था। यह केवल मंदिर निर्माण नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक चेतना और आत्मगौरव का पुनर्स्थापन था। जम्मू-कश्मीर से संबंधित ऐतिहासिक निर्णयों ने राष्ट्रीय एकीकरण को नई मजबूती प्रदान की। विकास और लोकतंत्र की मुख्यधारा से जुड़ते हुए जम्मू-कश्मीर आज नए अवसरों की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री जी ने यह सिद्ध किया कि दुर्घ इच्छाशक्ति और स्पष्ट नीति के साथ कठिन से कठिन निर्णय भी राष्ट्रहित में लिए जा सकते हैं।

मध्यप्रदेश को प्रधानमंत्री श्री मोदी का विशेष स्नेह और मार्गदर्शन का निरंतर लाभ प्राप्त हुआ है – मध्यप्रदेश प्रधानमंत्री श्री मोदी के विशेष स्नेह और मार्गदर्शन का लाभ निरंतर प्राप्त करता रहा है। प्रदेश में सड़क, रेल, सिंचाई, ऊर्जा, शहरी विकास और स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश एवं परियोजनाओं ने विकास को नई गति दी है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से गरीब, किसान, महिला और युवाओं के जीवन में बदलाव लाने वाली अनेक योजनाओं का प्रभाव प्रदेश के प्रत्येक जिले तक पहुँचा है। विंध्य क्षेत्र और विशेष रूप से मेरा गृहक्षेत्र रीवा भी इस परिवर्तनकारी यात्रा का साक्षी बना है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट ने न केवल मध्यप्रदेश बल्कि पूरे देश

को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई। यह परियोजना प्रधानमंत्री जी के उस विजन का प्रतीक है जिसमें विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चलते हैं। आज रीवा देश के ऊर्जा मानचित्र पर एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और विंध्य की पहचान नई संभावनाओं से जुड़ चुकी है। विंध्य क्षेत्र में सड़क संपर्क, रेल सुविधाओं, शिक्षा संस्थानों और आधारभूत संरचना के विस्तार ने विकास के नए द्वार खोले हैं। यह क्षेत्र अब पिछड़ेपन की पहचान से आगे बढ़कर प्रगति और संभावनाओं के केंद्र के रूप में उभर रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और केंद्र सरकार का सतत सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है।

स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मुझे यह अनुभव करने का अवसर मिला है कि प्रधानमंत्री जी की सोच केवल इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वस्थ भारत के व्यापक निर्माण की है। आयुष्मान भारत जैसी ऐतिहासिक योजना ने गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। मेडिकल कॉलेजों के विस्तार, स्वास्थ्य और जनकल्याणकारी स्वास्थ्य योजनाओं ने मध्यप्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को नई दिशा दी है। प्रदेश सरकार भी प्रधानमंत्री जी के इसी दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए प्रत्येक नागरिक तक गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नेतृत्व हमें यह विश्वास देता है कि विकसित भारत का संकल्प केवल एक सपना नहीं, बल्कि एक साकार होती राष्ट्रीय यात्रा है। उनके नेतृत्व में भारत ने आत्मविश्वास, सांस्कृतिक गौरव और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। आज प्रत्येक भारतीय गर्व के साथ कह सकता है कि उसका देश विश्व पटल पर नई ऊँचाइयों को छू रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसे युगनिर्माता नेतृत्व के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। भारतीय चिंतन में आदर्श नेतृत्व का आधार सदैव लोककल्याण और राष्ट्रहित रहा है।

‘प्रजामुखे सुबुधं राज्ञः प्रजानां च हिते हितम्। नात्मप्रियं हितं राज्ञः प्रजानां तु प्रियं हितम्।’ शासक का सुध प्रजा के सुध में और उसका हित प्रजा के हित में निहित होता है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में जनसेवा, सुशासन और राष्ट्र प्रथम की यही भावना निरंतर परिलक्षित होती है। मध्यप्रदेश और विंध्य की जनता की ओर से मैं उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे उन्हें उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और राष्ट्रसेवा की अक्षुण्ण ऊर्जा प्रदान करें, ताकि उनके नेतृत्व में भारत विकसित, आत्मनिर्भर और विश्वगुरु बनने की दिशा में निरंतर अग्रसर रहे। (लेखक मध्यप्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं)

संक्षिप्त समाचार

राजस्व मंत्री ने भाउखेड़ी मनरेगा पार्क में किया पौधारोपण

झाड़ लगाकर दिया स्वच्छता का संदेश



सीहोर (निप्र)। इछावर के भाउखेड़ी मनरेगा पार्क में पौधारोपण एवं स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री श्री करण सिंह वर्मा ने पौधारोपण किया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता दोनों ही समाज की सामूहिक जिम्मेदारी हैं। बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों को देखते हुए प्रत्येक नागरिक को अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने का संकल्प लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वृक्ष न केवल पर्यावरण को संतुलित बनाए रखते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य भी प्रदान करते हैं। राजस्व मंत्री श्री वर्मा ने कहा कि स्वच्छता केवल एक अभियान नहीं, बल्कि जीवनशैली का हिस्सा बननी चाहिए। स्वच्छ वातावरण से स्वास्थ्य बेहतर रहता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन आता है। उन्होंने उपस्थित लोगों से अपने घर, गांव और आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया।

रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रशासन की सख्त कार्रवाई

संयुक्त टीम ने डंपर एवं दो ट्रैक्टर-ट्रॉली किए जप्त

नर्मदापुरम (निप्र)। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में रेत के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 07 जून 2026 की रात्रि राजस्व, खनिज एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा ग्राम आँचल खेड़ा, तहसील माखननगर में कार्रवाई करते हुए रेत का अवैध उत्खनन कर रहे एक डंपर

एमपी04एचई5029 को जप्त किया गया। जप्त वाहन को पुलिस थाना माखननगर की अभिरक्षा में रखा गया है। इसी प्रकार दिनांक 08 जून 2026 को खनिज निरीक्षक द्वारा ग्राम मगरिया, तहसील नर्मदापुरम क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए रेत का अवैध परिवहन कर रहे दो ट्रैक्टर-ट्रॉली जप्त किए गए। दोनों वाहनों को पुलिस थाना देहात नर्मदापुरम की अभिरक्षा में रखा गया है। प्रशासन द्वारा संबंधित वाहनों के विरुद्ध म.प्र. खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन एवं परिवहन में सलिय व्यक्तियों के विरुद्ध आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

कलेक्टर के निर्देश पर मालेगांव में ग्रामीणों की पेयजल समस्या का तत्काल हुआ समाधान

बैतूल (निप्र)। जिले के अंतिम छोर पर स्थित एवं बैतूल के सबसे ऊंचे स्थानों में बसे भैसदेही विकासखंड के ग्राम मालेगांव में पेयजल समस्या बनी हुई थी। इस संबंध में ग्रामवासियों द्वारा जनसुनवाई में कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। समस्या को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग पीएचई के कार्यपालन यंत्री को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। निर्देशों के पालन में कार्यपालन यंत्री पीएचई श्री मनोज बघेल द्वारा स्वयं स्थल का निरीक्षण किया गया।

2 जेसीबी मशीन, 2 डम्पर एवं 7 ट्रैक्टर किए जप्त

बैतूल (निप्र)। कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे के निर्देशानुसार जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 8 जून को घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम चिखलपाटी की



■ राशन हितग्राहियों को शत-प्रतिशत राशन वितरण और ईकेवाईसी करने के कलेक्टर ने दिए निर्देश,कलेक्टर ने की कृषि, खाद्य, औषधि प्रशासन और खाद्य सुरक्षा की समीक्षा

जिले में सुनिश्चित की जाए डीजल, पेट्रोल और गैस की सुचारू आपूर्ति: कलेक्टर



सीहोर (निप्र)। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कृषि, खाद्य, औषधि प्रशासन एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की समीक्षा बैठक आयोजित कर विभागीय गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों और किसानों को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए तथा सभी व्यवस्थाएं समय पर और सुचारू रूप से संचालित की जाएँ। खाद्य विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने निर्देश दिए कि पात्र हितग्राहियों को राशन का शत-प्रतिशत वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा सभी हितग्राहियों की केवाईसी प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने कहा कि राशन का उठाव और वितरण निर्धारित समय पर होना चाहिए, ताकि किसी भी पात्र परिवार को खाद्यान्न प्राप्त करने में कठिनाई न आए। कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने जिले में डीजल, पेट्रोल

एवं एलपीजी गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि अधिकारी पेट्रोल पंपों का नियमित निरीक्षण करें और आपूर्ति व्यवस्था पर सतत निगरानी रखें। उन्होंने विशेष रूप से निर्देश दिए कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक डीजल की उपलब्धता में किसी प्रकार की बाधा न आए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने डीएपी, एनपीके सहित उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खेती के सीजन में किसानों को खाद के लिए भटकना न पड़े। साथ ही उर्वरकों की कालाबाजारी पर सख्त नजर रखने और संबंधितों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों को ई-विकास पोर्टल से जनरेट टोकन के आधार पर पात्रतानुसार एवं नियमानुसार ही उर्वरकों का वितरण किया जाए। खाद्य सुरक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने

निर्देश दिए कि मिलावट के विरुद्ध की गई कार्रवाइयों में लगाए गए जुर्माने की वसूली समय पर सुनिश्चित की जाए तथा लंबित प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जाए। उन्होंने खाद्य प्रतिष्ठानों और दुकानों का नियमित निरीक्षण कर मिलावटखोरों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई जारी रखने के निर्देश भी दिए। औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने निर्देश दिए कि जिले में दवाओं की गुणवत्ता एवं उपलब्धता पर सतत निगरानी रखी जाए।

उन्होंने कहा कि मेडिकल स्टोर्स और औषधि प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण किया जाए तथा अमानक, नकली अथवा एक्सपायरी दवाओं के विक्रय पर सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही आवश्यक जीवनरक्षक दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण औषधियाँ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के. ने कहा कि आमजन को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना, किसानों को समय पर खाद एवं ईंधन उपलब्ध कराना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को प्रभावी बनाए रखना प्रशासन का दायित्व है। इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन की योजनाओं और व्यवस्थाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। बैठक में कृषि उप संचालक श्री अशोक कुमार उपाध्याय, जिला आपूर्ति अधिकारी श्रीमती रेशमा भामोर सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

● जल जीवन मिशन बना महिलाओं के सम्मान, सुविधा और सशक्तिकरण का आधार

घर-घर पहुंचा नल का जल, बदली श्रीमती मंजू वर्धन की जिंदगी

सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले की रेहटी तहसील के ग्राम अमीरांज में रहने वाली श्रीमती मंजू वर्धन के जीवन में जल जीवन

मिशन के तहत संचालित नल-जल योजना ने एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाया है। कभी प्रतिदिन पानी की व्यवस्था करना उनके दिन का सबसे कठिन और समय लेने वाला काम हुआ करता था, लेकिन आज उनके घर के आंगन में लगे नल से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो रहा है। इससे न केवल उनकी दैनिक परेशानियाँ कम हुई हैं, बल्कि उनके जीवन की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आया है।श्रीमती मंजू वर्धन बताती हैं कि पहले उन्हें पानी के लिए काफी दूर तक जाना पड़ता था। गर्मी के दिनों में स्थिति और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती थी। परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए कई बार दिन में अनेक चक्कर लगाने पड़ते थे, जिससे समय और श्रम दोनों की अधिक खपत होती थी। पानी लाने में लगने वाले समय के कारण घर के अन्य कार्यों पर भी प्रभाव पड़ता था। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव में नल-जल योजना शुरू होने के

बाद अब घर पर ही नियमित रूप से पानी उपलब्ध हो रहा है। इससे उन्हें बड़ी राहत मिली है। अब पानी के लिए अधिक दूरी तय नहीं



करनी पड़ती और बचा हुआ समय परिवार की देखभाल तथा अन्य उपयोगी कार्यों में लगाया जा रहा है। श्रीमती मंजू वर्धन का कहना है कि घर तक पानी पहुंचने से महिलाओं का जीवन काफी आसान हुआ है। पहले जहां पानी की

चिंता दिनभर बनी रहती थी, वहीं अब स्वच्छ पेयजल सहज रूप से उपलब्ध होने लगा है। इससे परिवार के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक

प्रभाव पड़ा है तथा जीवन अधिक सुविधाजनक और सम्मानजनक बना है। ग्राम अमीरांज में जल जीवन मिशन के माध्यम से घर-घर नल कनेक्शन उपलब्ध करारक ग्रामीणों को मूलभूत सुविधा से जोड़ा गया है। श्रीमती मंजू वर्धन की कहानी इस बात का प्रमाण है कि जल जीवन मिशन केवल पेयजल उपलब्ध कराने की योजना नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने, उनके श्रम को कम करने और उन्हें सशक्त बनाने का एक प्रभावी माध्यम भी बन रहा है।

आज श्रीमती मंजू वर्धन जल जीवन मिशन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र और मुख्यमंत्री डॉ मोहन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहती हैं कि नल-जल योजना ने उनके परिवार के जीवन को आसान और बेहतर बनाया है। उनकी यह कहानी ग्रामीण विकास और जनकल्याण की दिशा में जल जीवन मिशन की सफलता का जीवंत उदाहरण है।

